न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :– करतारसिंह पूनियॉ आर.ए.एस.

अपील संख्या 2022/215 (215/2022) 225 आरटीएक्ट

अनिल पुत्र भीमसिह जाति जाट निवासी डोभी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

– अपीलान्ट

बनाम

1. भीमसिह पुत्र ख्याली जाति जाट निवासी डोभी तहसील भादरा जिला हनुमागनढ।
2. सुन्दरी पत्नी ख्यालीराम निवासी डोभी हाल कलाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
3. शकुन्तला पुत्री ख्यालीराम पत्नी भागीरथ जाति जाट निवासी डोभी हाल गढीछानी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
4. विहान पत्रु विकास आयु 7 वर्ष जाति जाट निवासी डोभी नाबालिग जरिये माता पूनम पत्नी विकास हाल निवासी गणेशपुराबास भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
5. निशांत पुत्र विकास आयु 3 वर्ष जाति जाट निवासी डोभी नाबालिग जरिये माता पूनम पत्नी विकास हाल निवासी गणेशपुराबास भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा जिला हनुमानगढ।

– रेस्पोडैन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 225 आरटीएक्ट

विरूद्व निर्णय उपखण्डाधिकारी भादरा

दिनांक 20.06.2022 प्रकरण संख्या 41/2021

बअनवानी विहान बनाम भीमसिह आदि

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

श्री देवदत्त भिड़ासरा अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 2

श्री राजपाल झोरड़ अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 4 व 5

निर्णय

दिनांक – 11.10.2022

1. इस प्रकरण में तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेण्ट सं0 4 व 5 ने धारा 212 राजस्थान कातश्कारी अधिनियम का प्रार्थना–पत्र पेश किया, जिसमें रेस्पो0 सं0 1 भीमसिह के नाम दर्ज भूमि को रहन, बेय व हस्तान्तरण न करने हेतु व मृतक ख्याली के नाम दर्ज भूमि का इंतकाल न करने हेतु अनुतोष चाहा। अपीलाण्ट ने प्रार्थना–पत्र का जवाब प्रस्तुत करके यह कथन किया कि रेस्पो0 सं0 1 भीमसिह ने अपने नाम दर्ज कुल भूमि में से 1/2 हिस्सा का दानपत्र रेस्पो0 सं0 4 विहान व 5 निशान के पक्ष में निष्पादित करे पंजीकृत करवा दिया था व मृतक प्रतिवादी ख्याली राम ने अपने जीवनकाल में ही अपनी सम्पूर्ण भूमि की वसीयत अपीलांट अनिल के पक्ष में कर दी थी इसलिए रेस्पोडेण्ट सं0 4 व 5 का कोई हक हिस्सा न होने का कथन किया। अधीनस्थ न्यायलाय ने प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर दिनांक 24.08.2021 को मृतक ख्यालीराम व रेस्पो0 सं0 1 भीमसिह के नाम से दर्ज सम्पूर्ण भूमि के रिकार्ड व मौका की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश पारित किया एवं रेस्पो0 सं0 2 व 3 द्वारा जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने पर दिनांक 20.06.2022 को अधीनस्थ न्यायलाय ने आदेश पारित करके मृतक ख्यालीराम पुत्र नानूराम के नाम दर्ज भूमि का विरास्तन इन्तकाल वारिसान के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने का आदेश पारित किया एवं ख्यालीराम वल्द नानूराम से प्राप्त भूमि पर आदेश दिनांक 24.08.2021 व 03.03.2022 को पारित आदेश यथावत रखने का आदेश पारित किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

Lomo

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायलाय का आदेश उपलब्ध साक्ष्यों के विपरीत विधि के आज्ञापक प्रावधानों के विपरीत पारित किया गया है। विचारण न्यायलाय ने अपीलाधीन आदेश के द्वारा मृतक प्रतिवादी ख्यालीराम के हिस्सा की भूमि का विरासतन इन्तकाल वारिसान के नाम से दर्ज करने का आदेश पारित किया है। उक्त आदेश मूल वाद के निस्तारण में ही पारित किया जा सकता है! धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रार्थना–पत्र में पक्षकारों के अधिकारें का अन्तिम निस्तारण नहीं किया जा सकता है जबकि अपीलाधीन आदेश के द्वारा स्व0 ख्यालीराम की भूमि का विरास्तन इन्तकाल दर्ज करने का आदेश पारित किया है जो वाद के अन्तिम निस्तारण का आदेश है। जबकि धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनिमय के तहत अधिकारों का अन्तिम निस्तारण करने का क्षेत्राधिकार नहीं है। स्व0 ख्यालीराम ने अपने हिस्सा की भूमि की वसीयत अपीलाण्ट के पक्ष में की हुई है इस तथ्य का निर्धारण वाद में साक्ष्य के बाद ही किया जा सकता है कि स्व0 ख्यालीराम के हिस्सा की भूमि का हकदार अपीलांट है अथवा उसके सभी वारिसान है। विचारण न्यायालय ने रेस्पो0 सं0 1 भीमसिंह के विरूद्ध जारी अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 24.08.2021 को रेस्पो0 सं0 4 व 5 एवं रेस्पो0 सं0 1 के मध्य राजीनामा होने के कारण दिनांक 03.05.2022 को रेस्पो0 सं0 1 भीमसिह के विरूद्ध जारी अस्थाई निषेधाज्ञा अपास्त कर दी थी व एक बार अस्थाई निषेधाज्ञा अपास्त करने के बाद पुनः अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है व रेस्पो0 सं0 4व 5 ने भी रेस्पो सं0 1 के विरूद्ध कोई अस्थाई निशेधाज्ञा जारी करने का पुनः निवेदन नहीं किया था। विचारण न्यायालय ने प्रकरण की स्थिति की विवेचना किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जबकि अपीलांट स्व0 ख्यालीराम की वसीयत के आधार उसके हिस्सा

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

की भूमि पर काबिज है यदि ख्यालीराम की भूमि का विरास्तन इंतकाल उसके वारिसान के नाम से दर्ज किया जाता है तो अपीलांट के हित प्रभावित होंगे व अपीलाण्ट अपने विधिक अधिकारों से वंचित हो जायेगा इसलिए अपील अपीलांट स्वीकार की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावें।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में कथन कियाकि अधीनस्थ न्यायलाय ने उभयपक्षों को सुनकर विवेचन करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अपीलांट ने मिथ्या तथ्यों के आधार पर यह अपील पेश की है जो रेस्पोडेण्ट को हैरान परेशान करने के लिए की गई है। विचारण न्यायालय का आदेश विधि सम्मत है अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरएलडब्ल्यू 2005 (1) पेज 401 का न्यायिक दृष्टान्त पेश किया।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पो0 सं0 4 व 5 ने धारा 212 आरटीएक्ट का प्रार्थना–पत्र पेश किया जिसमें प्रश्नगत भूमि को रहन बेय या दीगर तरीके से हस्तान्तरण नहीं करने एवं मृतक ख्यालीराम के नाम से दर्ज भूमि का इंतकाल गैरसायल अपने नामसे दर्ज करवाकर भूमि का रहन बैय, या मुन्तकिल नहीं करने का अनुतोष मांगा था। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 24.08.2021 को भूमि के राजस्व रिकार्ड एवं मौका की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये लेकिन दिनांक 20.06.2022 के द्वारा मृतक प्रतिवादी ख्यालीराम के हिस्सा की भूमि का विरास्तन इन्तकाल वारिसान के नाम दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया। धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रार्थना–पत्र में पक्षकारों के अधिकारों का अन्तिम निस्तारण नहीं किया जा सकता है जबकि अपीलाधीन आदेश के द्वारा स्व0 ख्यालीराम की भूमि का विरास्तन इन्तकाल दर्ज करने का आदेश पारित किया है जो

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

वाद का अन्तिम निस्तारण का है। जबकि धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अधिकारों का अन्तिम निस्तारण करने का क्षेत्राधिकार नहीं है। स्व0 ख्यालीराम ने अपने हिस्सा की भूमि की वसीयत अपीलाण्ट के पक्ष में की हुई है इस तथ्य का निर्धारण वाद में साक्ष्य के बाद ही किया जा सकता है कि स्व0 ख्यालीराम के हिस्सा की भूमि का हकदार अपीलांट है अथवा उसके सभी वारिसान है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

7. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी भादरा का अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.06.2022 खारिज किया जाता है एवं दिनांक 24.08.2021 का आदेश यथावत रखा जाता है। अपीलाण्ट वसीयत के आधार पर विधि अनुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

8. निर्णय आज दिनांक 11.10.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया ।

11/x/22

(करतार सिंह पूनियाँ)

आर..ए.एस

राजस्व अपील अधिकारी

हनुमानगढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)